स्वातन्त्र्योत्तर काल के पश्चात् स्त्री शिक्षा
Women Education After Indepence

ARYAN Page No. Date / /

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय स्त्रियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। जहाँ भारतीय संविधान में उनकी उन्नति और विकास हेतु अनेक धाराओं और उपबंधों का निर्धारण किया गया है और स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया है तथा सभी क्षेत्रों में उनको समान अधिकार दिये गए हैं, वहीं पुरुषों की सोच और उनका दृष्टिकोण भी बदल रहा है, उनकी मान्यताएं और धारणाएं बदल रही हैं। स्त्रियों के विकास की इस यात्रा में उनकी शिक्षा के प्रसार और विकास में जिन आयोगों समितियों और नीतियों का विशेष योगदान रहा है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948-49 (राधाकृष्णन) की शिक्षा संबंधी सिफारिशें :-

स्त्री शिक्षा के विषय में आयोग ने निम्न सुझाव दिये -

(i) स्त्रियों की शिक्षा सुविधाओं में विस्तार किया जाए और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाली स्त्रियों को हर प्रकार की

ARYAN Page No. Date

सुविधाएं प्रदान की जायें

(ii) स्त्रियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे सुमाता और सुगृहिणी बन सके।

(iii) समान कार्य के लिए महिला शिक्षकों को भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना पुरुष शिक्षकों को मिलता है।

(iv) विश्वविद्यालय स्तर पर सहशिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(v) सुयोग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा लड़कियों के लिए शैक्षिक निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लड़कियों को अपनी रुचियों का पूर्ण ज्ञान हो और वे शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों का अंधानुकरण न करें

(vi) जहाँ लड़को और लड़कियों के लिए सहशिक्षा के कॉलेज खोले जा रहे हैं, वे वास्तविक अर्थों में सहशिक्षा संबंधी संस्थान होने चाहिए।

2. माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 (मुदालियर आयोग) की स्त्री शिक्षा संबंधी सिफारिशें

स्त्री शिक्षा के विषय में आयोग ने अग्र सुझाव दिए -

(i) लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिए।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकतानुसार लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग स्कूल खोले जाने चाहिए।

(iii) जहाँ लड़कियों के लिए स्कूल खोलना संभव न हो, वहाँ सह-शिक्षा की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

(iv) लड़कियों के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति की सिफारिशे (दुर्गाबाई देशमुख समिति) - 1958-59

इस समिति ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए अनेक सुझाव दिए -

(i) स्त्री शिक्षा की समस्या को देश की महत्वपूर्ण समस्याओं में प्रमुख स्थान दिया जाए।

(ii) शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों के बीच विद्यमान असमानता को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करके उनमें समानता लायी जाए।

(iii) केन्द्रीय सरकार स्त्री शिक्षा के उत्तरदायित्व को ग्रहण करे और उसके विकास तथा विस्तार के लिए निश्चित योजना बनाए तथा उसको कार्यान्वित करे।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए एक पृथक् विभाग की स्थापना की जाए।

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के विकास के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की जाए।

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाई जाए और सभी राज्यों में उसको क्रियांवित किया जाए।

(vii) प्रत्येक राज्य में बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य समितियाँ स्थापित की जायें।

ARYAN Page No. Date / /

(ii) बालिकाओं के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए अधिकाधिक महिला निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए।

स्त्री शिक्षा पर श्रीमति हंसा मेहता समिति 1962 के सुझाव :- स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् ने शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम की समस्या पर अध्ययन करने के लिए सन् 1962 में श्रीमति हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति का लक्ष्य बालक-बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता के प्रश्न पर विचार करके अपने सुझाव देना था। समिति द्वारा दिए गए सुझाव निम्न थे-

(i) भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना करके समाज में शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमताओं, सम्मानों एवं रुचियों से होना चाहिए। अतः लिंग के आधार पर पाठ्यक्रमों में अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ARYAN Page No. Date

(ii) भारत में अभी लोकतांत्रिक समाजवादी समाज के सृजन की प्रक्रिया चल रही है, अतः इस संक्रमण काल में हमें स्त्रियों और पुरुषों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यों के अन्तर के आधार पर बालकों एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए।

(iii) कक्षा 10 तक सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए इसको हम निम्न व उच्च स्तर में विभाजित कर सकते हैं। दोनों के मध्य केवल भाषा तथा कार्य अनुभव में एच्छिकता दी जानी चाहिए।

(iv) गृह विज्ञान, संगीत तथा ललित कला के शिक्षण में सुधार लाया जाए। ये विषय बालिकाओं की रुचि का प्रमुख विषय है।

(v) विज्ञान, गणित, संगीत, ललित कलाओं, गृह-विज्ञान आदि विषयों के लिए आवश्यक योग्य और प्रशिक्षित अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जाए।

(vi) बालकों तथा बालिकाओं को जीवन के विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न व्यावसायिक कोर्सों की व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) बालिकाओं की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

(viii) बालिकाओं के विद्यालयों को विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

(ix) जरूरतमंद और योग्य बालिकाओं को छात्र-वृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।

6. भक्तवत्सलयम समिति के स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव :- राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद ने मई 1963 में मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम० भक्तवत्सलयम की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसका लक्ष्य लड़कियों की शिक्षा के विकास में जनता का सहयोग एवं विभिन्न कार्यक्रमों में संतुलन स्थापित करना था। जिसके लिए निम्न सुझाव दिए गए -

ARYAN Page No. Date

A जन-सहयोग :- निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से जन सहयोग प्राप्त करना चाहिए -

(i) प्राइवेट स्कूल स्थापित करने में।

(ii) स्कूल भवनों के निर्माण करने में।

(iii) श्रमदान द्वारा स्कूल भवनों के निर्माण करने में।

(iv) स्कूल में मिड-डे मिल, निर्धन छात्राओं को कपड़े और पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था करने में।

(v) प्राथमिक स्तर पर सह-शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में

(vi) शिक्षण व्यवसाय के प्रति जनता में सम्मान की भावना पैदा करने में।

(vii) शिक्षण कार्य में भाग लेने के लिए स्त्रियों में जागरूकता पैदा करने में।

(viii) विवाहित स्त्रियों को प्रोत्साहन देने में जिससे वे अंशकालिन शिक्षण कार्य करें।

(ix) स्कूलों में कल्याण समितियों तथा सुधार सम्मेलनों को आयोजित करने में।

B राज्य का उत्तरदायित्व :- स्त्री शिक्षा के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार को निम्न कार्य करने चाहिए -

नामांकन कार्य में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

(ii) स्कूल सुधार सम्मेलन आयोजित करने चाहिए

(iii) रेडियो प्रसारण और विचार गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए।

(iv) स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(v) सभी क्षेत्रों एवं सभी आबादियों वाले इलाकों में लड़कियों को शिक्षा संबंधी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

(vi) प्राथमिक तथा सहशिक्षा वाले स्कूलों में शिक्षिकाएँ ही नियुक्त की जानी चाहिए।

(vii) शिक्षिकाओं को जहाँ तक संभव हो उसके गाँवों के निकट ही नियुक्त किया जाना चाहिए।

(viii) शिक्षिकाओं के लिए स्कूलों के निकट ही आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ix) स्कूल भवनों, शिक्षण सामाग्री तथा अन्य उपकरणों एवं खेल के मैदान की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय संस्थाओं को देना चाहिए।

ARYAN Page No. Date

7) भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 (कोठारी आयोग) की सिफारिशें :- इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव निम्न दिए -

(i) भारतीय संविधान में उल्लिखित लक्ष्य की प्राप्ती के लिए बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। ~~आय~~

(ii) जहाँ स्त्रियों की उच्च शिक्षा की अधिक मांग हो, वहाँ अलग से महिला महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

(iii) स्त्रियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iv) बालिकाओं के लिए अधिकाधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) बालिकाओं के लिए सुविधा संपन्न छात्रावासों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

ARYAN Page No. Date / /

दूर से आने वाली बालिकाओं के लिए निःशुल्क वाहन सेवा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा से संबंधित अनुसंधान इकाइयों (Research Unit) का गठन किया जाना चाहिए।

स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।